

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 403 /2022

उनवान

- 1- उगमी पत्नी घीसू लाल जाट निवासी बोरड़ा तहसील शाहपुरा
- 2- राम लाल पिता घीसूलाल जाट निवासी बोरड़ा तहसील शाहपुरा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- गोपाल पिता कुन्दन मल सेन निवासी बोरड़ा बावरियान
- 2- खाना पिता देवी सेन निवासी बोरड़ा बावरियान
- 3- नन्दा पिता मोती जाट निवासी बोरड़ा बावरियान
- 4- घीसू पिता छोगा गूर्जर निवासी बोरड़ा बावरियान

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री रामप्रसाद जाट
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 22.11.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम बोरड़ा पटवार हल्का बोरड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1344 रकबा 0.15 है0, 1348 रकबा 0.07 है0, 1353 रकबा 0.12 है0, 1354 रकबा 0.42 है0, 1718 रकबा 0.39 है0, 1719 रकबा 0.16 है0, 1728 रकबा 0.33 है0, 1736 रकबा 0.40 है0, 1737 रकबा 0.24 है0, 1764 रकबा 0.07 है0, 1767 रकबा 0.03 है0, 1818 रकबा 0.20 है0, 1850 रकबा 0.40 है0, 1853 रकबा 0.24 है0, 1862 रकबा 0.08 है0, 1862/2811 रकबा 0.13 है0, 547 रकबा 0.73 है0 कुल किता 17 रकबा 4.16 हैक्टेयर के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण सं0 1 लगायत 3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की गयी। एवं विपक्षीगण सं0 4 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गयी। बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम बोरड़ा पटवार हल्का बोरड़ा संवत 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर मौजा बोरड़ा में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् में से आराजी नम्बर 1764 रकबा 0.07 है0, 1767 रकबा 0.03 है0 रकबा 0.10 है0 किस्म गेमु बाड़ा होने से उक्त आराजीयात् को छोड़कर शेष किता 15 रकबा 4.06 हैक्टेयर की पुरखा पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 1700/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा